



उत्तराखण्ड

RO/ARO

समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार

भाग 2

भारत का संविधान एवं अर्थव्यवस्था



# UK - RO/ARO

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
<b>भारतीय संविधान</b>		
1.	भारतीय संविधान का विकास	1
2.	प्रस्तावना	17
3.	मूल अधिकार	19
4.	राज्य के नीति निदेशक तत्व	20
5.	मूल कर्तव्य	21
6.	संघ	23
7.	संविधान संशोधन	38
8.	आपतकालीन उपबंध	42
9.	जनहित याचिका	44
10.	भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य	46
11.	प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्रिपरिषद	53
12.	भारत निर्वाचन आयोग	59
13.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	61
14.	केन्द्रीय सूचना आयोग	64
15.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	66
<b>भारतीय अर्थव्यवस्था</b>		
1.	बजट निर्माण	69
2.	भारत में बैंकिंग	73
3.	लोक वित्त	90
4.	कर सुधार	97
5.	राष्ट्रीय आय	104
6.	आर्थिक संवृद्धि एवं विकास	112
7.	मौद्रिक नीति	117
8.	अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र	126
9.	हरित क्रांति	141
10.	भारत में योजनाएँ	145
<b>अन्य सामान्य ज्ञान</b>		
1.	भारत के प्रमुख बांध	

2.	भारत के पक्षी अभ्यारण
3.	भारत की जनसंख्या
4.	भारत के प्रमुख बंदरगाह
5.	भारत में प्रमुख नृत्य
6.	अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं
7.	भारत के प्रमुख स्टेडियम
8.	प्रमुख व्यक्ति एवं उनके उपनाम
9.	भारत के प्रमुख स्थल एवं उनके निर्माणकर्ता
10.	राज्य एवं उनके मुख्यमंत्री
11.	भारत के राष्ट्रपति
12.	भारत के प्रधानमंत्री
13.	लोकसभा अध्यक्ष
14.	संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान एवं पूर्व चेयरमैन
15.	भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
16.	प्रमुख उच्च न्यायालय
17.	भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्या न्यायाधीश
18.	नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय
19.	भारत में सर्वाधिक बड़ा, लम्बा एवं ऊँचा
20.	भारत में प्रथम पुरुष
21.	यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के विश्व धरोहर स्थल
22.	भारत के राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह
23.	अविष्कार—अविष्कारक
24.	अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्वपूर्ण तथ्य
25.	प्रसिद्ध पुस्तक व उनके लेखक
26.	खेलकूद
27.	विश्व की प्रमुख जल संधि
28.	प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन



# प्रिय विद्यार्थी, टॉपर्सनोट्स चुनने के लिए धन्यवाद।

## नोट्स में दिए गए QR कोड्स को स्कैन करने लिए टॉपर्स नोट्स ऐप डाउनलोड करे।


ऐप डाउनलोड करने के लिए दिशा निर्देश देखे :-




ऐप इनस्टॉल करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से या गूगल लैंस से QR स्कैन करें।




**टॉपर्सनोट्स  
एजाम प्रिपरेशन ऐप**



टॉपर्सनोट्स ऐप डाउनलोड करें  
गूगल प्ले स्टोर से।




लॉग इन करने के लिए अपना  
मोबाइल नंबर दर्ज करें।




अपनी परीक्षा श्रेणी चुनें।



सर्च बटन पर क्लिक करें।



SCAN QR पर क्लिक करें।



किताब के QR कोड को स्कैन करें।

- • सोल्युशन वीडियो
- • डाउट वीडियो
- • कॉन्सेप्ट वीडियो
- • अतिरिक्त पाठ्य-सामग्री
- • विषयवार अभ्यास
- • कमज़ोर टॉपिक विश्लेषण
- • रैंक प्रेडिक्टर
- • टेस्ट प्रैक्टिस

किसी भी तकनीकी सहायता के लिए  
[hello@toppersnotes.com](mailto:hello@toppersnotes.com) पर मेल करें  
या ☎ 766 56 41 122 पर whatsapp करें।

## भारतीय संविधान

### भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास

1773 ई. का ऐम्युलेटिंग एक्टः- तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नार्थ द्वारा 1772 ई. में गठित गुप्त शमिति के प्रतिवेदन पर 1773 ई. में ब्रिटिश संसद द्वारा ऐम्युलेटिंग एक्ट पारित किया गया इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

1. कम्पनी के डायरेक्टर शम्भी प्रकार के कार्यों से संरक्षण को अवगत कराएँ।
2. संचालन मण्डल का कार्यकाल चार वर्ष कर दिया गया।
3. बंगाल में 1774 ई. में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई।
4. बंगाल में एक प्रशासक मण्डल गठित किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल तथा चार पार्षद नियुक्त किये गये।
5. कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद् को दिया गया।
6. बंगाल के गवर्नर की ओब शमस्त अधिकारी क्षेत्रों का गवर्नर कहा गया।

1793 का चार्टर एक्ट The Charter Act of 1793:-

कम्पनी के कार्यों और संगठन में कुशार करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:-

1. कम्पनी के व्यापारिक अधिकारों को छगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
2. शासकों के व्यक्तिगत नियमों की जगह ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधि-विधानों द्वारा प्रशासन की आधारिता स्थापित की गई।
3. गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की परिषदों के शदर्थों की योग्यता के लिए शदर्थ को कम-दो-कम 12 वर्षों के तक भारत में रहने के अनुभव को आवश्यक कर दिया गया।
4. नियंत्रक मण्डल के शदर्थों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया।
5. शम्भी कानूनों एवं विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया।

### 1833 का चार्टर अधिनियम The Charter Act of 1833:-

1833 ई. में चार्टर अधिनियम पारित किया गया, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किये गये थे।

1. कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार (चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने के लिए) को शमाप्त करके उसे प्रशासनिक तथा राजनीतिक लंग्ठा बना दिया गया।
2. कम्पनी के नियंत्रक मण्डल के अधिकार को सीमित किया गया।
3. बंगाल के गवर्नर जनरल को सम्पूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया।
4. गवर्नर जनरल की परिषद् को सम्पूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।

### 1858 का भारत शासन अधिनियम The Government of India Act, :-

1858 इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किये गये थे

1. भारत में कम्पनी के शासन को शमाप्त कर दिया गया तथा शासन का उत्तराधित्व ब्रिटिश संरक्षण (ब्रिटेन की संसद) की ओप दिया गया।
2. कम्पनी के निदेशक मण्डल, नियंत्रक मण्डल तथा गुप्त शमिति को शमाप्त करके इनके अधिकारों तथा शक्तियों के प्रयोग का अधिकार ब्रिटेन की शासाजी की ओर से भारत राज्य सचिव (Secretary of state for india) को ओप दिया गया।
3. भारत राज्य सचिव के कार्यों में शहायता देने हेतु 15 शदर्थों की एक 'भारत परिषद' की स्थापना की गयी।
4. भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया।
5. कम्पनी की शेनाओं को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया।

### भारतीय परिषद् अधिनियम 1861 Indian Council Act, 1861:-

इस अधिनियम में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी थी।

1. गवर्नर जनरल को नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
2. गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया।
3. गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु जये प्रान्त के निर्माण का तथा नवगिरित प्रान्त में गवर्नर या लैफिंग गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया।
4. केन्द्रीय कार्यकारिणी के शदर्थों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई।
5. गवर्नर जनरल की विधान परिषद् की संख्या में वृद्धि कर की गयी।

नोट:- 1909, 1919, 1935 के अधिनियम की चर्चा इतिहास में की जा चुकी है।

## संविधान की पृष्ठभूमि

### संविधान शब्दा

- सर्वप्रथम 1935 में कांग्रेस ने संविधान शब्दा की मांग की।
- 1938 में कांग्रेस ने यह मांग की कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान शब्दा का निर्माण किया जाना चाहिए।
- 1940 अंगरेज प्रस्ताव - इसके तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा यह द्विकार किया गया कि संविधान शब्दा में भारतीय लद्दाय होंगे और भारतीय लद्दाय ही संविधान बनाएंगे।
- 1942 क्रिप्ट मिशन - इसके तहत पहली बार संविधान शब्दा एवं इसके निर्वाचन की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया।
- 1946 कैबिनेट मिशन - इसकी शिफारिश के आधार पर संविधान शब्दा का निर्वाचन डुलाई - अंगरेज 1946 में हुआ। संविधान शब्दा का चुनाव प्रान्तीय विधानसभा के निम्न लोकनगर के लद्दायों द्वारा आनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया गया। इसके तहत संविधान शब्दा के लद्दायों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया।  
 (1) मुरिलम (2) शिवख  
 (3) शामान्य

### संविधान शब्दा के लद्दाय :-

संविधान शब्दा की प्रथम बैठक :- 9 दिसंबर 1946 अध्यक्ष - शिवदानंद शिर्हा

संविधान शब्दा की दूसरी बैठक :- 11 दिसंबर

1946 द्वायी अध्यक्ष - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद,

उपाध्यक्ष - H. C. मुखर्जी

लोलाहकार - B. N. शाव

- संविधान का पहला प्रारूप B. N. शाव ने तैयार किया। संविधान का मुख्य प्रारूप B. R. अम्बेडकर ने तैयार किया।
- 13 दिसंबर को जवाहर लाल नेहरू द्वारा 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया गया जो कि 22 जनवरी 1947 को पास किया गया।

### उद्देश्य प्रस्ताव

- यह एक प्रकार से संविधान के लिए संविधान की खपरेखा थी। इसमें संविधान के मूल आदर्शों की स्थापना की गई। यह एक मार्गदर्शिका थी।
- संविधान शब्दा ने अपने कार्य विभाजन के लिए अनेक समितियों का गठन किया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण समितियां इस प्रकार हैं -

क्र.सं.	समितियां	अध्यक्ष
1.	संघीय शिवि समिति	जवाहरलाल नेहरू
2.	संघीय संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
3.	प्रान्तीय संविधान समिति	शरदार वल्लभ शाह पटेल
4.	मूल शिक्षिकार एवं अल्पसंख्यक के समर्थन में लोलाहकार समिति	शरदार वल्लभ शाह पटेल
5.	शष्ट्रीय धर्ज के संरक्षण में तर्द्ध समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
6.	मूल शिक्षिकारों के संरक्षण में अंग समिति	डॉ. बी. कृपलानी
7.	अल्प संख्यकों के संरक्षण में अंग समिति	एच. सी. मुखर्जी
8.	प्रारूप समिति	भीमराव अम्बेडकर

### प्रारूप समिति :-

- इसमें कुल 7 लद्दाय थे।
- अध्यक्ष - भीमराव अम्बेडकर
- अन्य लद्दाय -
  - गोपाल द्वायी आयंगर
  - अल्लदी कृष्ण द्वायी अर्यर
  - के. एम. मुंशी
  - शर्दूल मोहम्मद शादुल्ला
  - बी. एल. मिश्र, द्वायी लोकाल होने के कारण इसके लद्दाय पर एन. माधवराव आए थे।
  - डी. पी. लैटान, मृत्यु होने पर इसके लद्दाय पर टी. टी. कृष्णामाचारी आए थे।
- 15 अंगरेज 1947 के बाद भारत व पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान शब्दा में 299 लद्दाय 29 हो गए थे।
- झंतिम रूप से संविधान पर 284 लद्दायों ने हस्ताक्षर किए थे। डॉ. पी. नारायण एवं तेज बहादुर शपु ने लोकाल द्वायी लद्दाय के कारण संविधान शब्दा से इस्तीफा दे दिया।
- 22 जुलाई 1947 के बाद संविधान शब्दा ने तिरंगे झंडे की शष्ट्रीय धर्ज के रूप में मान्यता दी।
- 15 अंगरेज 1947 के बाद संविधान शब्दा ने विधानसभा का कार्य शी किया जिसके अध्यक्ष डॉ. वी. मावलंकर थे।
- 1948 में संविधान शब्दा ने शष्ट्रमंडल की लद्दायता के लिए मान्यता दे दी।

- शंखिदान शभा में 15 महिला शदस्य थी। शरीजनी नायडू, ऊषा मेहता, दुर्गा बाई देशमुख एवं छन्द
- 26 नवम्बर 1949 को शंखिदान बनकर तैयार हो गया और इसी दिन 284 शदस्यों ने शंखिदान पर अंतिम हस्ताक्षर किये। इसी दिन से 15 छनुच्छेद लागू किये गये। शंखिदान का शेष भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
- शंखिदान शभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी, 1950 को हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय मीत एवं राष्ट्रीय गान को मान्यता दी गयी। इसके बाद श्री शंखिदान शभा विधानमंडल के रूप में कार्य करती रही। इसके बाद 1952 में लंकाश के गठन के बाद शंखिदान शभा पूर्णतया शमाप्त हो गयी।
- शंखिदान शभा का मूल शंखिदान :- भाग = 22, छनुच्छेद = 395, छनुस्थियाँ = 12  
वर्तमान में :- भाग = 24 (चार नए भाग हैं - 4A, 9A, 9B, 14A) (गोट- 7 वां भाग 7 में शंखिदान शंशोधन द्वारा शमाप्त कर दिया गया।)  
 छनुच्छेद = 446, छनुस्थियाँ = 12

### भारतीय शंखिदान के ल्लोत

1. भारत शरकार अधिनियम 1935 :- यह भारतीय शंखिदान का मुख्य ल्लोत है। हमारे शंखिदान के लगभग 2/3 छनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। आपातकाल लगाने की व्यवस्था केन्द्र व शदस्यों के बीच विजयों का विभाजन आदि।
2. बिटेन/इंग्लैण्ड :-
  - (1) शंखिदान शासन व्यवस्था
  - (2) कैंबिगेट व्यवस्था
  - (3) शामूहिक उत्तरदायित्व की भावना
  - (4) राष्ट्रपति का अभिभाषण
  - (5) रिट जारी करना
  - (6) एकल नागरिकता
  - (7) न्याय के लमक्ष शमानता
  - (8) First Past The Post System (शर्वाधिक मत लाने वाला व्यक्ति विजयी होगा)
  - (9) CAG की व्यवस्था, विधि का शासन
3. अमेरिका :-
  - (1) मूल अधिकार
  - (2) न्यायिक पुनरावलोकन
  - (3) न्यायिक शर्वोच्चता
  - (4) विधि की शम्यक प्रक्रिया (Due Process of Law)
  - (5) राष्ट्रपति पर महाभियोग
  - (6) शर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जर्जों को हटाने की प्रक्रिया
  - (7) प्रस्तावना की शुरूआत “हम भारत के लोग भारत को”
  - (8) उपराष्ट्रपति का पद
4. आयरलैण्ड :-
  - (1) नीति निदेशक तत्व
  - (2) राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
  - (3) शदयश्वा में 12 शदस्यों का मनोनयन
5. ऑस्ट्रेलिया :-
  - (1) अमवर्ती शून्यी
  - (2) अंयुक्त अधिवेशन
  - (3) अन्तर्राजीय व्यापार-वाणिज्य और शमागम
  - (4) प्रस्तावना का प्रारूप

## 6. दक्षिण अफ्रीका :-

- (1) संविधान संशोधन
- (2) राज्यसभा के शदर्यों का निर्वाचन

## 7. कनाडा :-

- (1) संघात्मक ढांचा - केन्द्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, इवाशिष्ट शक्ति केन्द्र के पास होती है।
- (2) राज्यपाल की नियुक्ति (जो कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति करता है)
- (3) सुप्रीम कोर्ट की परामर्शदात्री व्यवस्था

## 8. फ्रांस :-

- (1) गणतंत्रात्मक व्यवस्था
- (2) स्वतंत्रता, समानता बंधुत्व

## 9. जर्मनी :-

- (1) वाइमर/वीमर गणतंत्र
- (आपातकाल में मूल अधिकारों का निलम्बन)

## 10. ईरान :-

- (1) मूल कर्तव्य
- (2) न्याय (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय) - Preamble

## 11. जापान :- (1) विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया (अनुच्छेद - 21)

## संविधान के भाग

### भाग 1

#### संघ और उसका राज्यक्षेत्र (Union and the territory)

अनुच्छेद 1 : संघ का नाम और राज्यक्षेत्र

अनुच्छेद 2 : नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

अनुच्छेद 2 क : निररित (Deleted)

अनुच्छेद 3 : नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, दीमांडों या नामों में परिवर्तन

अनुच्छेद 4 : पहली अनुशूली और चौथी अनुशूली के के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और

पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ

### भाग 2

#### नागरिकता (Citizenship)

अनुच्छेद 5 : संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता

अनुच्छेद 6 : पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

अनुच्छेद 7 : पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

अनुच्छेद 8 : भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

अनुच्छेद 9 : विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्दित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होगा।

अनुच्छेद 10 : नागरिकता के अधिकारों का बना रहा

अनुच्छेद 11 : संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जागा

अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन के विषय में अवशर की समता

अनुच्छेद 17 : अत्यृश्यकता का अंत

अनुच्छेद 18 : उपधियों का अंत

## 2. इवातंत्रय - अधिकार (Right to Freedom)

अनुच्छेद 19 : वाक्-इवातंत्रय आदि विषयक कुछ

अधिकारों का संरक्षण

अनुच्छेद 20 : अपराधों के लिए दोषास्तिद्धि के संबंध में संरक्षण

अनुच्छेद 21 : प्राण और दैहिक इवातंत्रता का संरक्षण

अनुच्छेद 22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

## 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation)

अनुच्छेद 23 : मानव के दुर्व्यापार और वलात्मक का प्रतिषेध

अनुच्छेद 24 : कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

## 4. धर्म की इवातंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)

अनुच्छेद 25 : अंतःकरण की और धर्म के अबाध का से मानने, आचरण और प्रचार करने की इवातंत्रता

अनुच्छेद 26 : धार्मिक कार्यों के प्रबंध की इवातंत्रता

अनुच्छेद 27 : किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदर्भ के बारे में इवातंत्रता

अनुच्छेद 28 : कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपरिथ देने के बारे में इवातंत्रता

## 5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights)

अनुच्छेद 29 : अल्पसंख्यक - वर्गों के हितों का संरक्षण

अनुच्छेद 30 : शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

अनुच्छेद 31. (निरसित)

कुछ विधियों की व्यावृत्ति (Saving of certain Laws)

अनुच्छेद 31 - क : संपदाओं आदि के अर्डग के लिए उपबंध करने वाली विधियों का व्यावृत्ति।

अनुच्छेद 31 - ख : कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण

अनुच्छेद 31 - ग : कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति।

अनुच्छेद 31 - घ : (निरसित)

## 6. शांविधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

अनुच्छेद 32 : इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार।

अनुच्छेद 32 क : (निरसित)

अनुच्छेद 33 : इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संदर्भ की शक्ति।

अनुच्छेद 34 : जब किसी क्षेत्र में ऐना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन

अनुच्छेद 35 : इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान

## भाग 4

### राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)

अनुच्छेद 36 : परिआज्ञा

अनुच्छेद 37 : इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना

अनुच्छेद 38 : राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।

अनुच्छेद 39 : राज्य द्वारा अनुशरणीय कुछ नीति तत्व

अनुच्छेद 39 - क : समान न्याय और निःशुल्क विधिक शहायता

अनुच्छेद 40 : ग्राम पंचायतों का संगठन

अनुच्छेद 41 : कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक शहायता पाने का अधिकार

अनुच्छेद 42 : काम की न्यायालंगत और नानवीचित दशाओं का तथा प्रशुति शहायता का उपबंध

अनुच्छेद 43 - क : उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना

अनुच्छेद 44 : नागरिकों के लिए एक समान शिविल दंस्तिता

अनुच्छेद 45 : बालकों के लिए निःशुल्क और अनविर्य शिक्षा का उपबंध

अनुच्छेद 46 : अनुशूद्धित जातियों, अनुशूद्धित जगजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि

- अनुच्छेद 47 :** पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का शय्या का कर्तव्य
- अनुच्छेद 48 :** कृषि और पशु पालन का शंगठन
- अनुच्छेद 48-क :** पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्द्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
- अनुच्छेद 49 :** राष्ट्रीय महत्व के संस्थारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
- अनुच्छेद 50 :** कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
- अनुच्छेद 51 :** अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

#### भाग 4-क

#### मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)

अनुच्छेद 51 - क: मूल कर्तव्य

#### भाग 5

#### संघ (The Union)

अध्याय 1 - कार्यपालिका (The Executive)  
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति (The President and Vice President)

- अनुच्छेद 52 :** भारत का राष्ट्रपति
- अनुच्छेद 53 :** संघ की कार्यपालिका शक्ति
- अनुच्छेद 54 :** राष्ट्रपति का निर्वाचन
- अनुच्छेद 55 :** राष्ट्रपति के निर्वाचन की शीति
- अनुच्छेद 56 :** राष्ट्रपति की पदावधि
- अनुच्छेद 57 :** पुनर्निवाचन के लिए पात्रता
- अनुच्छेद 58 :** राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं
- अनुच्छेद 59 :** राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें
- अनुच्छेद 60 :** राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 61 :** राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
- अनुच्छेद 62 :** राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकर्तिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
- अनुच्छेद 63 :** भारत का उपराष्ट्रपति
- अनुच्छेद 64 :** उपराष्ट्रपति का शय्या सभा का पकेन सभापति होना
- अनुच्छेद 65 :** राष्ट्रपति के पद में आकर्तिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन
- अनुच्छेद 66 :** उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
- अनुच्छेद 67 :** उपराष्ट्रपति की पदावधि

- अनुच्छेद 68 :** उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकर्तिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
- अनुच्छेद 69 :** उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 70 :** अन्य आकर्तिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन
- अनुच्छेद 71 :** राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से बंबंदित या अंशकत विषय
- अनुच्छेद 72 :** क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति
- अनुच्छेद 73 :** संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

#### मंत्रि परिषद (Council of Ministers)

- अनुच्छेद 74 :** राष्ट्रपति को शहायता और शलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्
- अनुच्छेद 75 :** मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

#### भारत का महान्यायवादी (The Attorney General of India)

अनुच्छेद 76 : भारत का महान्यायवादी

#### संरकारी कार्य का अंचल (Conduct of Government Business)

- अनुच्छेद 77 :** भारत संरकार के कार्य का अंचल
- अनुच्छेद 78 :** राष्ट्रपति को जागकारी देने आदि के अंबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य
- अध्याय 2 - संसद (Parliament)**
- साधारण (General)**
- अनुच्छेद 79 :** संसद का गठन
- अनुच्छेद 80 :** राज्य सभा की अंस्थना
- अनुच्छेद 81 :** लोक सभा की अंस्थना
- अनुच्छेद 82 :** प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन

- अनुच्छेद 83 :** संसद के सदनों की अवधि
- अनुच्छेद 84 :** संसद की अदस्यता के लिए अर्हता
- अनुच्छेद 85 :** संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन
- अनुच्छेद 86 :** सदनों में अभिभाषण का और उनकों संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार
- अनुच्छेद 87 :** राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
- अनुच्छेद 88 :** सदनों के बारे में मंत्रियों और

## महान्यायवादी के ऋणिकार

### संसद के ऋणिकारी (Officers of Parliament)

- अनुच्छेद 89 : राज्य सभा का सभापति और उपसभापति
- अनुच्छेद 90 : उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
- अनुच्छेद 91 : सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति, के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति
- अनुच्छेद 92 : जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई शंकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठारीन न होना
- अनुच्छेद 93 : लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- अनुच्छेद 94 : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
- अनुच्छेद 95 : अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति
- अनुच्छेद 96 : जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई शंकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठारीन न होना
- अनुच्छेद 97 : सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
- अनुच्छेद 98 : संसद का सचिवालय

### कार्य शंखालन (Conduct of Business)

- अनुच्छेद 99 : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 100 : सदनों के मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

### सदस्यों की निरहताएं (Disqualification of Members)

- अनुच्छेद 101 : स्थानों का रिक्त होना
- अनुच्छेद 102 : सदस्यों के लिए निरहताएं
- अनुच्छेद 103 : सदस्यों की निरहताओं से शंखालित प्रश्नों पर विनिश्चय
- अनुच्छेद 104 : अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहित न होते हुए या निरहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति

## संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार

- और उन्मुक्तियाँ (Power's Privileges and Immunities of Parliament and its Members)
- अनुच्छेद 105 : संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि
- अनुच्छेद 106 : सदस्यों के वेतन और भत्ते

### विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure)

- अनुच्छेद 107 :
- अनुच्छेद 108 : कुछ दशाओं में दोनों सदनों की शंखुकता बैठक
- अनुच्छेद 109 : दान विधेयकों के शंखाल में विशेष प्रक्रिया
- अनुच्छेद 110 : “दान विधेयक” की परिभाषा
- अनुच्छेद 111 : विधेयकों पर अनुमति

### वित्तीय विषयों के शंखाल में प्रक्रिया (Procedure in financial Matters)

- अनुच्छेद 112 : वार्षिक वित्तीय विवरण
- अनुच्छेद 113 : संसद में प्राककलनों के शंखाल में प्रक्रिया
- अनुच्छेद 114 : विनियोग विधेयक
- अनुच्छेद 115 : अनुप्रूपक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
- अनुच्छेद 116 : लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादनुदान
- अनुच्छेद 117 : वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध

### साधारणतया प्रक्रिया (Procedure Generality)

- अनुच्छेद 118 : प्रक्रिया के नियम
- अनुच्छेद 119 : संसद में वित्तीय कार्य शंखाल प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
- अनुच्छेद 120 : संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
- अनुच्छेद 121 : संसद में चर्चा पर निर्बन्धन
- अनुच्छेद 122 : न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना

### अध्याय 3 - राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers of the President)

- अनुच्छेद 123 : संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रस्त्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति

### अध्याय 4- शंघ की न्यायपालिका (The Union Judiciary)

- अनुच्छेद 124 : उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
- अनुच्छेद 125 : न्यायाधीशों के वेतन आदि
- अनुच्छेद 126 : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
- अनुच्छेद 127 : तर्द्ध न्यायमूर्तियों की नियुक्ति
- अनुच्छेद 128 : उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत न्यायाधीशों की उपस्थिति
- अनुच्छेद 129 : उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
- अनुच्छेद 130 : उच्चतम न्यायालय का स्थान
- अनुच्छेद 131 : उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता
- अनुच्छेद 131 क : (निरक्षित)
- अनुच्छेद 132 : कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
- अनुच्छेद 133 : उच्च न्यायालयों से शिविल विजयों से टांबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
- अनुच्छेद 134 - क : उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र
- अनुच्छेद 135 : विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना
- अनुच्छेद 136 : अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत
- अनुच्छेद 137 : निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन
- अनुच्छेद 138 : उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि
- अनुच्छेद 139 : कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त कियाजाना
- अनुच्छेद 139 क : कुछ मामलों का अंतरण
- अनुच्छेद 140 : उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ
- अनुच्छेद 141 : उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का क्षमी न्यायालयों पर आबद्धकर होना
- अनुच्छेद 142 : उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटिकरण आदि के बारे में आदेश
- अनुच्छेद 143 : उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
- अनुच्छेद 144 : शिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना
- अनुच्छेद 144 - क : (निरक्षित)

- अनुच्छेद 145 : न्यायालय के नियम आदि
- अनुच्छेद 146 : उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और शेवक तथा व्यय
- अनुच्छेद 147 : निर्वचन
- अध्याय 5 - भारत का नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India)
- अनुच्छेद 148 : भारत का नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
- अनुच्छेद 149 : नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ
- अनुच्छेद 150 : शंघ के शज्यों के लेखाओं का प्रारूप
- अनुच्छेद 151 : शंपरीक्षा प्रतिवेदन

## आग 6

### राज्य (The States)

- अध्याय 1 - साधारण (General)
- अनुच्छेद 152 : परिभाषा
- अध्याय 2 - कार्यपालिका (The Executive)
- राज्यपाल (The Governor)
- अनुच्छेद 153 : राज्यों के राज्यपाल
- अनुच्छेद 154 : राज्य की कार्यपालिका शक्ति
- अनुच्छेद 155 : राज्यपाल की नियुक्ति
- अनुच्छेद 156 : राज्यपाल की पदावधि
- अनुच्छेद 157 : राज्यपाल नियुक्त होने के लिए झर्हताएँ
- अनुच्छेद 158 : राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
- अनुच्छेद 159 : राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 160 : कुछ आकर्षितकराओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन
- अनुच्छेद 161 : क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति
- अनुच्छेद 162 : राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

### मंत्रि - परिषद (Council of Ministers)

- अनुच्छेद 163 : राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद
- अनुच्छेद 164 : मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General for the State)

- अनुच्छेद 165 : राज्य का महाधिवक्ता

## शरकारी कार्य का शंचालन (Conduct of Government Business)

अनुच्छेद 166 : राज्य की शरकार के कार्य का शंचालन  
 अनुच्छेद 167 : राज्यपाल की जानकारी देने आदि के शंबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य

## अध्याय 3 - राज्य का विधान - मंडल (The State Legislature)

### साधारण (General)

अनुच्छेद 168 : राज्यों के विधान - मंडलों का गठन  
 अनुच्छेद 169 : राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सूडन  
 अनुच्छेद 170 : विधान सभाओं की शंख्या  
 अनुच्छेद 171 : विधान परिषदों की शंख्या  
 अनुच्छेद 172 : राज्यों के विधान मंडलों की अवधि  
 अनुच्छेद 173 : राज्य के विधान - मंडल के शत्र, शत्रावशान और विघटन  
 अनुच्छेद 174 : राज्य के विधान - मंडल के शत्र, शत्रावशान और विघटन  
 अनुच्छेद 175 : शद्वयों या शद्वनों में अभिभाषण का और उनकों संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार  
 अनुच्छेद 176 : राज्यपाल का विशेष अभिभाषण  
 अनुच्छेद 177 : शद्वनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार

### राज्य के विधान - मंडल के अधिकारी (Officers of the state Legislature)

अनुच्छेद 178 : विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष  
 अनुच्छेद 179 : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना  
 अनुच्छेद 180 : अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को शक्ति  
 अनुच्छेद 181 : जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई शंकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना  
 अनुच्छेद 182 : विधान परिषद का सभापति और उपसभापति  
 अनुच्छेद 183 : सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना पदत्याग और पद से हटाया जाना  
 अनुच्छेद 184 : सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने

की उपसभापति या किसी अन्य को शक्ति

अनुच्छेद 185 : जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई शंकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना

अनुच्छेद 186 : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते

अनुच्छेद 187 : राज्य के विधान-मंडलों का शयिवालय कार्य शंचालन (Conduct of Business)

अनुच्छेद 188 : शद्वयों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा

अनुच्छेद 189 : शद्वनों में सतदान, शिक्षितयों के होते हुए भी शद्वनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

### शद्वयों की निरहताएं (Disqualification of Members)

अनुच्छेद 190 : इथानों का रिक्त होना

अनुच्छेद 191 : शद्वयता के लिए निरहताएं

अनुच्छेद 192 : शद्वयों की निरहताओं से शंखंदित प्रश्नों पर विविच्य

अनुच्छेद 193 : अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति

राज्यों के विधान-मंडलों और उनके शद्वयों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां (Powers, Privileges and Immunities of State Legislatures and their Members)

अनुच्छेद 194 : विधान-मंडलों के शद्वनों की तथा उनके शद्वयों और शमितियों की शक्तियां विशेषाधिकार आदि

अनुच्छेद 195 : शद्वयों के वेतन और भत्ते

### विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure)

अनुच्छेद 196 : विधेयकों के मुद्रःश्थापन और पारित किए जाने के शंबंध में उपबंध

अनुच्छेद 197 : दून विधेयकों से मित्र विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन

अनुच्छेद 198 : दून विधेयकों के शंबंध में विशेष प्रक्रिया

अनुच्छेद 199 : 'दून विधेयक' की परिभाषा

अनुच्छेद 200 : विधेयकों पर अनुमति

अनुच्छेद 201 : विचार के लिए आरक्षित विधेयक

## वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया (Procedure in Financial Matters)

- अनुच्छेद 202 : वार्षिक वित्तीय विवरण  
 अनुच्छेद 203 : विधान-मंडल में प्राककलनों के संबंध में प्रक्रिया  
 अनुच्छेद 204 : विनियोग विदेयक  
 अनुच्छेद 205 : अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान  
 अनुच्छेद 206 : लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान  
 अनुच्छेद 207 : वित्त विदेयकों के बारे में विशेष उपबंध

## साधारणतया प्रक्रिया (Procedure Generally)

- अनुच्छेद 208 : प्रक्रिया के नियम  
 अनुच्छेद 209 : राज्य के विधान - मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन  
 अनुच्छेद 210 : विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली आज्ञा  
 अनुच्छेद 211 : विधान - मंडलों में चर्चा पर निर्वाचन  
 अनुच्छेद 212 : न्यायालयों द्वारा विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना

## अध्याय 4 - राज्यपाल की विधायी शक्ति (Legislative Powers of the Governor)

- अनुच्छेद 213 : विधान - मंडल के विशांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति

## अध्याय 5 - राज्यों के उच्च न्यायालय (The High Courts of the States)

- अनुच्छेद 214 : राज्यों के लिए उच्च न्यायालय  
 अनुच्छेद 215 : उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना  
 अनुच्छेद 216 : उच्च न्यायालयों का गठन  
 अनुच्छेद 217 : उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें  
 अनुच्छेद 218 : उच्चतम न्यायालय से संघित कुछ अपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना  
 अनुच्छेद 219 : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा  
 अनुच्छेद 220 : स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि - व्यवसाय पर निर्बद्ध  
 अनुच्छेद 221 : न्यायाधीशों के वेतन आदि  
 अनुच्छेद 222 : किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण  
 अनुच्छेद 223 : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति

- अनुच्छेद 224 : अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति  
 अनुच्छेद 224-क : उच्च न्यायालयों की बैठकों में शोवा-निवृत न्यायाधीशों की नियुक्ति  
 अनुच्छेद 225 : कुछ इट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति  
 अनुच्छेद 226 : कुछ इट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति  
 अनुच्छेद 226 - क : (निररित)  
 अनुच्छेद 227 : शभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति  
 अनुच्छेद 228 : कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण  
 अनुच्छेद 228 - क : (निररित)  
 अनुच्छेद 229 : उच्च न्यायालयों के अधिकारी और शोवक तथा व्यय  
 अनुच्छेद 230 : उच्च न्यायालयों की अधिकारित का संघ राज्यकान्त्रों पर विस्तार  
 अनुच्छेद 231 : दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना

## अध्याय 6 - अधीनस्थ न्यायालय

### (Subordinate Courts)

- अनुच्छेद 233 : ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति  
 अनुच्छेद 233 - क : कुछ ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण  
 अनुच्छेद 234 : न्यायिक शोवा में ज़िला न्यायाधीशों और भिन्न व्यक्तियों की भर्ती  
 अनुच्छेद 235 : अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण  
 अनुच्छेद 236 : निररित  
 अनुच्छेद 237 : कुछ वर्ग या वर्गों के मिलिट्री ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबन्धों का लागू होना

## भाग 7

### पहली अनुशूली के भाग ख के राज्य (The states in Part B or the First Schedule)

- अनुच्छेद 238 : (निररित)

## भाग 8

### संघ राज्य क्षेत्र (The Union Territories)

- अनुच्छेद 239 : संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन  
 अनुच्छेद 239 - क : कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्रि-परिषदों का या दोनों का शृजन

अनुच्छेद 239 - ख : विद्यान - मंडलों के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रस्तुति करने की प्रशासक की शक्ति  
 अनुच्छेद 240 : कुछ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति  
 अनुच्छेद 241 : राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय  
 अनुच्छेद 242 : (विवरित)

### भाग 9

243 - परिभाषायें  
 243 क - ग्राम शब्द  
 243 ख - पंचायतों की गठन  
 243 ग - पंचायतों की राज्यना  
 243 घ - इथानों का आरक्षण  
 243 ङ - पंचायतों आदि की अवधि  
 243 च - अदरक्षया के लिए अनहता  
 243 छ - पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व  
 243 ज - पंचायतों द्वारा करारीपण की शक्तियां और उनकी निधियाँ  
 243 झ - वित्तीय रिस्ति के पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय आयोग की इथापना  
 243 झ - पंचायतों का लेखा परीक्षण  
 243 ट - पंचायतों के निर्वाचन  
 243 ठ - राज्यक्षेत्रों पर प्रवर्तन  
 243 ड - करिपय क्षेत्रों को इस भाग का लागू न होना  
 243 ढ - विद्यमान विधियों और पंचायतों की निरन्तरता  
 243 ण - निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन

### भाग 9 क

नगरपालिकायें  
 243 त - परिभाषायें  
 243 थ - नगरपालिकाओं का गठन  
 243 द - नगरपालिकाओं की राज्यना  
 243 ध - वार्डों, शमितियों आदि का गठन और उनकी राज्यना  
 243 न - इथानों का आरक्षण  
 243 प - नगरपालिकाओं आदि की अवधि  
 243 फ - अदरक्षया के लिए अनहता  
 243 ब - नगरपालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व  
 243 भ - नगरपालिकाओं द्वारा करारीपण की शक्तियां और उनकी निधियाँ  
 243 म - वित्त आयोग  
 243 य - नगरपालिकाओं के लेखा का परीक्षण

243 - यक - नगरपालिकाओं के निर्वाचन  
 243 - यथा - राज्यों का प्रवर्तन  
 243 - यग - करिपय क्षेत्रों को इस भाग का लागू न होना  
 243 - यघ - डिला योजना के लिए शमिति  
 243 - यड. - महानगरीय योजना के लिए शमिति  
 243 - यच - वर्तमान विधियों तथा नगरपालिकाओं की निरन्तरता  
 243 - यछ - निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन

### भाग 10

#### अनुशूलित और जनजाति क्षेत्र (The Schedule and Tribal Areas)

अनुच्छेद 244 : अनुशूलित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन  
 अनुच्छेद 244 - क : अराम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को राज्यविष्ट करने वाला एक राज्याली बनाना और उसके लिए इथानीय विद्यान - मंडल या मंत्रि - परिषद का या दोनों का सृजन।

### भाग 11

#### राज्यों के बीच राज्यालीशक्ति (Relations between the Union and the States)

अध्याय 1 - विद्यायी राज्यालीशक्ति (Legislative Relations) विद्यायी शक्तियों का वितरण (Distribution of Legislative Powers)

अनुच्छेद 245 : राज्याली राज्यों के विद्यान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार

अनुच्छेद 246 : राज्याली राज्यों के विद्यान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय-वस्तु

अनुच्छेद 247 : कुछ ज्ञातारिकत न्यायालयों की इथापना का उपबंध करने की राज्याली शक्ति

अनुच्छेद 248 : अवशिष्ट विद्यायी शक्तियां

अनुच्छेद 249 : राज्य सूची में के विषय के राज्याली शक्ति

अनुच्छेद 250 : यदि ज्ञापात की उद्योगणा प्रवर्तन में हो राज्य सूची में के विषय के राज्याली शक्ति

अनुच्छेद 251 : संसद् द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और शर्तयों के विद्यान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में अंतर्गत।

अनुच्छेद 252 : दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी शहमति से विधि बनाने की संसद् की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना।

अनुच्छेद 253 : अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विद्यान।

अनुच्छेद 254 : संसद् द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विद्यान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में अंतर्गत।

अनुच्छेद 255 : शिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना।

## अध्याय 2 - प्रशासनिक संबंध (Administrative Relations)

### साधारण (General)

अनुच्छेद 256 : राज्यों की और संघ की बाध्यता।

अनुच्छेद 257 : कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण।

अनुच्छेद 257 क : (निरर्थित)

अनुच्छेद 258 : कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति।

अनुच्छेद 259 (निरर्थित)

अनुच्छेद 260 : भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता।

अनुच्छेद 261 : सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां।

### जल संबंधी विवाद (Disputes relating to Waters)

अनुच्छेद 262 : अंतर्राजियक नदियों या नदी - झीलों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णय।

राज्यों के बीच समन्वय (Co-ordinations between States)

अनुच्छेद 263 : अंतर्राजिय परिषद् के संबंध में उपबंध।

## भाग 12

### वित, संपत्ति, संविदाएं और वाद (Finance, Property, Contracts and Suits)

#### अध्याय 1 - वित (Finance)

##### साधारण (General)

अनुच्छेद 264 : निर्वचन।

अनुच्छेद 265 : विधि के प्राधिकार के बिना कर्तों का अधिरोपण न किया जाना।

अनुच्छेद 266 : भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे।

अनुच्छेद 267 : आकर्षिता निधि।

संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण।

### (Distribution of Revenues between the Union and the States)

अनुच्छेद 268 : संघ द्वारा उद्घृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क।

अनुच्छेद 269 : संघ द्वारा उद्घृहित और संगृहीत तथा किंतु राज्यों को दीपी जाने वाले कर।

अनुच्छेद 270 : संघ द्वारा उद्घृहित और संगृहीत तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर।

अनुच्छेद 271 : कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार।

अनुच्छेद 272 : कर जो संघ द्वारा उद्घृहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे।

अनुच्छेद 273 : जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के इथान पर अनुदान।

अनुच्छेद 274 : ऐसी कराधान पर, जिसमें राज्य हितबद्ध हैं, प्रभाव डालने वाले विद्येयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व शिफारिश की अपेक्षा।

अनुच्छेद 275 : कुछ राज्यों को संघ से अनुदान।

अनुच्छेद 276 : वृत्तियों, व्यापारी, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर।

अनुच्छेद 277 : व्यावृति।

अनुच्छेद 278 : (निरर्थित)

अनुच्छेद 279 : “शुद्ध आगम” आदि की गणना।

अनुच्छेद 280 : वित आयोग।

अनुच्छेद 281 : वित आयोग की शिफारिशें।

### प्रकीर्ण वितीय उपबंध (Miscellaneous Financial Provisions)

अनुच्छेद 282 : संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय।

अनुच्छेद 283 : संचित निधियों, आकर्षिता निधि और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि।

अनुच्छेद 284 : लोक शेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियां और अन्य धनराशियों की आभिरक्षा

अनुच्छेद 285 : रांग की संपत्ति को शज्य के कर्ते दे छूट

अनुच्छेद 286 : माल के क्रय या विक्रय पर कर के आधिरैपण के बारे में निर्बद्धन

अनुच्छेद 287 : विद्युत पर कर्ते दे छूट

अनुच्छेद 288 : जल या विद्युत के संबंध में शर्डों द्वारा कराएगा दे कुछ दशाओं में छूट

अनुच्छेद 289 : राड़ों की संपत्ति और आय को रांग के कराएगा दे छूट

अनुच्छेद 290 : कुछ व्यर्थों और पेशनों के संबंध में शामायोजन

अनुच्छेद 290 -क : कुछ देवस्थम् निषियों को वार्षिक रांग

अनुच्छेद 291 : (निरसित)

अध्याय 2 - उद्धार लेना (Borrowing)

अनुच्छेद 293 : राड़ों द्वारा उद्धार लेना

अध्याय 3 - संपत्ति, संविदाएं, आधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद (Property, Contracts, Rights, Liabilities, Obligations and Suits)

अनुच्छेद 294 : कुछ दशाओं में संपत्ति, आरितयों, आधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार

अनुच्छेद 295 : अन्य दशाओं में संपत्ति, आरितयों, आधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार

अनुच्छेद 296 : राडगानी या व्यपगत या इवासीविहीन होने दे प्रोद्भूत संपत्ति

अनुच्छेद 297 : राड्यक्षेत्रीय लागड़-खंड या महाद्वीपीय मरनतट भूमि में रिथत मूल्यवान चीजों और अनन्द्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति लक्ष्यों का रांग में गिहित होना

अनुच्छेद 298 : व्यापार करने आदि की शक्ति

अनुच्छेद 299 : संविदाएं

अनुच्छेद 300 : वाद और कार्यवाहियां

अध्याय 4 - संपत्ति का आधिकार (Right to Property)

अनुच्छेद 300 क : विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति दे वंचित ज किया जाना

## भाग 13

भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और शामागम (Trade, Commerce and Intercourse within the Territory of India)

अनुच्छेद 301 : व्यापार, वाणिज्य और शामागम की इवंतंत्रता

अनुच्छेद 302 : व्यापार, वाणिज्य और शामागम पर निर्बद्धन आधिरैपित करने की संशद की शक्ति

अनुच्छेद 303 : व्यापार और वाणिज्य के संबंध में रांग और राड़ों की विद्यायी शक्तियों पर निर्बद्धन

अनुच्छेद 304 : राड़ों के बीच व्यापार, वाणिज्य और शामागम पर निर्बद्धन

अनुच्छेद 305 : विद्यमान विधियों और राड़ों के एकाधिकार की व्यावृत्ति

अनुच्छेद 306 : (निरसित)

अनुच्छेद 307 : अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वयित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति

## भाग 14

रांग और राड़ों के आधीन शेवाएं (Services under the Union and the States)

अध्याय 1 - शेवाएं (Services)

अनुच्छेद 308 : निर्वचन

अनुच्छेद 309 : रांग का शज्य की शेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और शेवा की शर्तें

अनुच्छेद 310 : रांग या शज्य की शेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि

अनुच्छेद 311 : रांग या शज्य के आधीन शिविल हैंटियत नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना पद दे हटाया जाना या पंक्ति में छवनत किया जाना

अनुच्छेद 312 : आधिवल भारतीय शेवाएं

अनुच्छेद 312 - क : कुछ शेवाओं के आधिकारियों की शेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहित करने की संशद की शक्ति

अनुच्छेद 313 : संक्रमणकालीन उपबंध

अनुच्छेद 314 : (निरसित)

## अध्याय 2 - लोक सेवा आयोग (Public Service Commissions)

- अनुच्छेद 315 : शंघ और शहरों के लिए लोक सेवा आयोग
- अनुच्छेद 316 : अद्यत्यों की नियुक्ति और पदावधि
- अनुच्छेद 317 : लोक सेवा आयोग के किसी अद्यत्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना
- अनुच्छेद 318 : आयोग के शहरों और कर्मचारिगृह की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति
- अनुच्छेद 319 : आयोग के शहरों द्वारा ऐसे अद्यत्य न रहने पर पद धारण करने के अंबंध में प्रतिषेध
- अनुच्छेद 320 : लोक सेवा आयोगों के कृत्य
- अनुच्छेद 321 : लोक सेवा आयोगों पर कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति
- अनुच्छेद 322 : लोक सेवा आयोगों के व्यय
- अनुच्छेद 322 : लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन

## भाग 14 क

### आदिकरण (Tribunals)

- अनुच्छेद 323 - क : प्रशासनिक आदिकरण
- अनुच्छेद 323 - ख : अन्य विषयों के लिए आदिकरण

## भाग 15

### निर्वाचन (Elections)

- अनुच्छेद 324 : निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन, आयोग में निहित होना
- अनुच्छेद 325 : धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक - नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक - नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना
- अनुच्छेद 326 : लोक सभा और शहरों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना
- अनुच्छेद 327 : विधान - मंडलों के लिए निर्वाचनों के अंबंध में उपबंध करने की अंशद की शक्ति
- अनुच्छेद 328 : किसी शहर के विधान-मंडल के लिए निर्वाचनों के अंबंध में उपबंध करने की उस विधान-मंडल की शक्ति
- अनुच्छेद 329 : निर्वाचन अंबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

## अनुच्छेद 329 - क : (निरसित)

### भाग 16

### कुछ वर्गों के अंबंध में विशेष उपबंध (Special Provisions relating to Certain Classes)

- अनुच्छेद 330 : लोक सभा में अनुशूलित जातियों और अनुशूलित जनजातियों के लिए इथानों का आरक्षण
- अनुच्छेद 331 : लोक सभा में झांगल-भारतीय शमुदाय का प्रतिनिधित्व
- अनुच्छेद 332 : शहरों को विधानसभाओं में अनुशूलित जातियों और अनुशूलित जनजातियों के लिए इथानों का आरक्षण
- अनुच्छेद 333 : शहरों की विधानसभाओं में झांगल - भारतीय शमुदाय का प्रतिनिधित्व
- अनुच्छेद 334 : इथानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का पचास वर्ष के एक्चात न रहना
- अनुच्छेद 335 : सेवाओं और पदों के लिए अनुशूलित जातियों और अनुशूलित जनजातियों के दावे
- अनुच्छेद 336 : कुछ सेवाओं में झांगल - भारतीय शमुदाय के लिए विशेष उपबंध
- अनुच्छेद 337 : झांगल - भारतीय शमुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध
- अनुच्छेद 338 : अनुशूलित जातियों, अनुशूलित जनजातियों आदि के लिए विशेष जागरारी
- अनुच्छेद 339 : अनुशूलित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुशूलित जनजातियों के कल्याण के बारे में शंघ का नियंत्रण
- अनुच्छेद 340 : पिछडे वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति
- अनुच्छेद 341 : अनुशूलित जातियाँ
- अनुच्छेद 342 : अनुशूलित जनजातियाँ

## भाग 17

### राजभाषा (Official Language)

- अध्याय 1 - शंघ की भाषा (Language of the Union)

अनुच्छेद 343 : शंघ की राजभाषा (हिन्दी)

अनुच्छेद 344 : राजभाषा के अंबंध में आयोग और अंशद की समिति

- अध्याय 2 - प्रादेशिक भाषाएं (Regional Languages)

अनुच्छेद 345 : शहर की राजभाषा या राजभाषाएं

**अनुच्छेद 346 :** एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और तंद्रा के बीच पत्रादि की राजभाषा

**अनुच्छेद 347 :** किसी राज्य की जनरांगव्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जानेवाली भाषा के तंबंध में विशेष उपबंध

**अध्याय 3 - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा (Language of the Supreme Courts, High Courts etc.)**

**अनुच्छेद 348 :** उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विदेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा

**अनुच्छेद 349 :** भाषा से तंबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

#### **अध्याय 4 - विशेष निर्देश (Special Directives)**

**अनुच्छेद 350 :** व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा

**अनुच्छेद 350-क :** प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं

**अनुच्छेद 350-ख :** भाषाई अल्परांगव्यक - वर्गों के लिए विशेष अधिकारी

**अनुच्छेद 351 :** हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश

#### **भाग 18**

##### **आपात उपबंध (Emergency Provisions)**

**अनुच्छेद 352 :** आपात की उद्योजना

**अनुच्छेद 353 :** आपात की उद्योजना का प्रभाव

**अनुच्छेद 354 :** जब आपात की उद्योजना प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण तंबंधी उपबंधों का लागू होता

**अनुच्छेद 355 :** बहु आक्रमण और आंतरिक असंति से राज्य की सुरक्षा करने का तंद्रा का कर्तव्य

**अनुच्छेद 356 :** राज्यों में शांविदानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध

**अनुच्छेद 357 :** अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्योजना के अधीन विद्यायी शक्तियों का प्रयोग

**अनुच्छेद 358 :** आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों के निलंबन

**अनुच्छेद 359 :** आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन

**अनुच्छेद 359 क :** (निरसित)

**अनुच्छेद 360 :** वितीय आपात के बारे में उपबंध

#### **भाग 19**

##### **प्रकीर्ण (Miscellaneous)**

**अनुच्छेद 361 :** राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का तंत्रकाण

**अनुच्छेद 361 क :** तंद्रा और राज्यों के विद्यान-मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का तंत्रकाण

**अनुच्छेद 362 :** (निरसित)

**अनुच्छेद 363 :** कुछ तंत्रियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्तन

**अनुच्छेद 363 - क :** देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता के अनुपाति और निजी शैलियों का अंत

**अनुच्छेद 364 :** महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध

**अनुच्छेद 365 :** तंद्रा द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव

**अनुच्छेद 366 :** परिभाषाएं

**अनुच्छेद 367 :** निर्वचन

#### **भाग 20**

##### **संविधान का तंशीदान (Amendment of the Constitution)**

**अनुच्छेद 368 :** संविधान का तंशीदान करने की तंसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया

#### **भाग 21**

##### **अस्थायी, अक्रमणकालीन और विशेष उपबंध (Temporary, Transitional and Special Provisions)**

**अनुच्छेद 369 :** राज्य सूची के कुछ विषयों के तंबंध में विधि बनाने को तंद्रा की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानों वे समर्ती सूची के विषय हो

**अनुच्छेद 370 :** जम्मू-कश्मीर राज्य के तंबंध में अस्थायी उपबंध

**अनुच्छेद 371 :** महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के तंबंध में विशेष उपबंध